न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

बजरंग सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
23-12-21	मु.नं. — 23/2020 इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-1-22 को पेश हो।	
10.01.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 4454/भू.अ./2021 दिनांक 28.12.2021 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील वादी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गयी। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.02.01 16:28:36 IST Reason: SelfAttested 10/01/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23 / 2020	2020 / 049	11.03.2020	10.01.2022

उनवान

1. बजरंग सिंह पुत्र स्व0 रघुवीर सिंह पौत्र रूड़सिंह उम्र– 59 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढ़ा (जैतुसर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, वादी अभिभाषक।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि वाके ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1757/4 कुल रकबा 0.41 हैक्टर अवस्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह को प्रार्थी के दादा रूड़सिंह का पिता दर्ज कर दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड, में गलत रूप से रूड़सिंह पुत्र रघुवीरसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि सही रूप से रघुवीर सिंह पुत्र रूड़सिंह दर्ज होना चाहिए था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अ[illegible], मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच प्रमाण पत्र आदि में सही नाम [illegible]सिंह पुत्र रूड़सिंह ही दर्ज है। जमाबन्दी पुरानी में रूड़सिंह के पिता [illegible] परन्तु न्यायालय श्री धर्मपाल सिंह, आरटीएस व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी श्रीमाधोपुर मिसल नम्बर 775/53 ग्राम महरोली उनवानी नारायण सिंह पुत्र लादू सिंह राजपूत द्वारा खसरा नम्बर 804 रकबा 13 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

15 बिस्वा भूमि का 1/4 हिस्सा फूलसिंह, किशोर सिंह, दशरथ सिंह का जरिये विक्रय पत्र के क्रय कर लिया जाना बताकर खातेदारी उक्त हिस्सा 1/4 दुरूस्त करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें रिकार्ड रिपोर्ट ली गई तथा रिकार्ड रिपोर्ट के अनुसार एंव पुरानी जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रूड़सिंह पुत्र बलवन्त सिंह दर्ज था जिसका उक्त प्रकरण में ली गई रिकार्ड रिपोर्ट व निर्णय आदेश दिनांक 18.12.1983 में भी उल्लेख है परन्तु नीचे आदेश में सहवन से रूड़सिंह पुत्र रघुवीर सिंह अंकित कर दिया गया। जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से लिपिकीय त्रुटिवश रूड़सिंह पुत्र रघुवीरसिंह दर्ज हो गया जो गलत रूप से दर्ज हो गया तथा जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से रूड़सिंह पुत्र रघुवीरसिंह दर्ज चला आ रहा है। जिसको रघुवीरसिंह पुत्र रूड़सिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी ने उक्त शुद्धिकरण बाबत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट उनवानी बजरंगसिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार मुकदमा नम्बर 57/2013 पेश किया जिसमें भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजी रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 1757/4 में खातेदार रूड़सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह पुत्र रूड़सिंह शुद्ध किया जाना प्रार्थना पत्र 136 एल0 आर0 एक्ट की परिधि में नहीं आना बताकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का न्यायालय आदेश/निर्णय दिनांक 15.01.2018 को अस्वीकार किया जा चुका है। जिसके कारण वादी को घोषणा दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने पर नाम दुरूस्त कर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान करने का निवेदन वकील वादी के द्वारा किया गया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर के हाजिर अदालत नहीं आने पर दिनांक 02.09.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पंत्राक 4454/भू.अ./2021 दिनांक 28.12.2021 के द्वारा फर्द मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से फर्द मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा किया गया।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम सेवा सहकारी बैंक लि0 शाखा श्रीमाधोपुर की ऋण खाता पास–बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबन्दी 2074–2077 में वादी के पिता का नाम खातेदार रूड़सिंह पुत्र रघुवीर सिंह दर्ज रिकार्ड है। जो गलत दर्ज है। जबकि वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(3)

पिता के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, सीकर केन्द्रिय सहकारी बैंक लि0 शाखा श्रीमाधोपुर की ऋण खाता पास–बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि में वादी के पिता का सही नाम रघुवीर सिंह पुत्र रूड़ सिंह जाति राजपूत दर्ज है। जो सही है। जिस बाबत पटवारी हल्का महरोली के द्वारा दिनांक 30.11.2021 को ग्राम महरोली के मजमे–ए–आम में की गई फर्द मौका जॉच रिपोर्ट में उपस्थित मौत बिरान से जानकारी प्राप्त करने पर मृत्तक खातेदार का सही नाम रघुवीर सिंह पुत्र रूड़ सिंह जाति राजपूत होना अवगत कराया गया है। उक्त फर्द मौका जॉच रिपोर्ट के आधार पर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांकित 28.12.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों में मृत्तक खातेदार का सही नाम रघुवीर सिंह पुत्र रूड़ सिंह जाति राजपूत होना अवगत कराया गया है। वादी के पिता का सही नाम रघुवीर सिंह पुत्र रूड़ सिंह जाति राजपूत दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तथ्यात्मक फर्द मौका जॉच रिपोर्ट से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1757/4 कुल रकबा 0.41 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज रूड़सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह पुत्र रूड़सिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/01/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)